DPS/122/09/22/FO/Gen/35

DELHI PUBLIC SCHOOL
MANDLA ROAD, SANSKARDHANI
JABALPUR (M.P.)
AFFILIATED TO CBSE

Date 24/09/2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that the Fire NOC of Delhi Public School Mandla Road Jabalpur was expired in June,2022.Hence school applied for its renewal on 22-07-2022.

It has received the Fire NOC Application no and Current Status.

INTERNATIONAL SCHOOL AWARD 2014-2017

Details are as under:

1. E-Nagarpalika- Your request for Fire NOC has been received, Kindly note the application no. 6100006636 for your reference.
2. Fire NOC renewal application no- 6100006636
3. For status updates please follow the link- www.mpenagarpalika.gov.in
4. The application status is pending as State Govt has notified vide circle no.3638/840818/2022/18-3, Bhopal,dated 13-09-2022 as per clause no. 07 no fire NOC will be granted for some period of time.

Annexure is attached herewith.

As soon as it would be renewed, the same will be forwarded to CBSE.

Principal
Delhi Public School
Mandla Road, Jabalpur

BRITISH COUNCIL

DPS MANDLA ROAD JABALPUR PRINCIPAL 2006

Pipariyakala, Near TFRI Colony, Jabalpur (M.P.) PIN - 482021
Contact No.: 0761-2636324-325, 8305022217, City Office : 0761-2679855
e-mail : dpsmandlaroad@gmail.com, website : www.dpsjabalpur.co.in

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 3638 / 840818 / 2022 / 18–3, भोपाल दिनांक 13 / 09 / 2022

प्रति,

1. आयुक्त, सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
पर्यावरण परिसर,
भोपाल।

2. आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
संचालनालय, भोपाल।

3. आयुक्त,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना,
विकास मंडल, पर्यावास भवन
भोपाल

AE(AU)
Most Urgent.

Rsc
13/9

विषय :– MADHYA PRADESH FIRE AND EMERGENCY SERVICES ACT, 2021 लागू किये जाने के संबंध में।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत MADHYA PRADESH FIRE AND EMERGENCY SERVICES ACT, 2021 लागू किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 30.08.2022 उनके प्रतिकक्ष में संपन्न बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कृपया निर्देशानुसार अनुरोध हैं कि उक्त कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संग्लन :– उपरोक्तानुसार।

13.9

(आर.के.कार्तिकेय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

No.........../AE (RC)
Date......./......./20......

पृ. क्रमांक 3639 / 840818 / 2022 / 18–3, भोपाल दिनांक 13 / 09 / 2022

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

13.9
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

AE(AG)

OIC....ACRC....
नियमानुसार परीक्षण कर तत्काल निराकरण करें।

7438
15/9/22

e/sanjay yadav/2020/latter2020

दिनांक 30.08.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

आज दिनांक 30.08.2022 को प्रमुख सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाना प्रतिबंधित करने एवं मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2021 के संबंध में विचार एवं प्रस्तुतिकरण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित रहे:–

1. श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.।
2. श्री भरत यादव, आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, म.प्र.।
3. श्री सी.के.साधव, संयुक्त संचालक, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र.।

उपरोक्त के अतिरिक्त संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा संबंधी कार्य से संबद्ध अधिकारीगण तथा श्री राकेश गुजराल, आईपीई ग्लोबल (सलाहकार) भी उपस्थित रहे।

1. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास की ओर से संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने के लिये प्रस्तुतिकरण दिया गया। निर्णय लिया गया किं प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण–पत्र के स्थान पर ऐसे भवन जिनमें मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) के प्रावधान अनुसार Fire Safety certificate प्राप्त करना आवश्यक है। NOC की जगह Fire plan approval process को Streamline करने के निर्देश तथा भवन Occupancy के पूर्व Fire safety Certificate जारी करने की प्रक्रिया का निर्धारण 15 दिन में किया जाए। (कार्यवाही– आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.) ①
2. पूर्व में जारी किये गये प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र धारको को भी आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा दिशा–निर्देश जारी करने के पश्चात 3 माह की समय–सीमा में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुये अग्निशमन प्राधिकारी से Fire Safety certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण कर निर्देश जारी किये जायें। (कार्यवाही– आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.) ②
3. आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास यह सुनिश्चित करेंगें कि फायर प्लान का अनुमोदन तथा अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ई–नगर पालिका पोर्टल या किसी अन्य पोर्टल से हो। (कार्यवाही–आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.)
4. प्रदेश के समस्त नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर परिषद के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जहां अग्निशमन अधिकारी पदस्थ नहीं है अपनी–अपनी निकायों के लिये निकाय के ही किसी तकनीकी अधिकारी को अस्थाई रूप से अग्निशमन अधिकारी का प्रभार प्रदान करेंगें। इसका आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों में उल्लेख किया जाये।(कार्यवाही– आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.)

Scanned with CamS

5. जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों में अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु निर्धारित शुल्क लिया जाना भी प्रावधानित किया जाये। (कार्यवाही– आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.)

6. वर्तमान में योग्यताधारी अग्निशमन इंजीनियर को संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षकों/नगर योजनाकारों/अग्निशमन इंजीनियरों के रूप में आयुक्त नगर पालिक निगम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम के अनुसार अनुज्ञप्तियां/पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी किया जाना प्रावधानित है, में आवश्यक संशोधन किया जाकर अग्निशमन इंजीनियर के रूप में पंजीयन/अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के स्थान पर आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्रतिस्थापित किया जावे। (कार्यवाही– आयुक्त, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश,म.प्र.)

7. मध्यप्रदेश अग्शिमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम प्रभावशील होने तथा नियम लागू होने तक के लिये आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा फायर प्लान एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करते हुये विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जायेगे तथा प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना तत्काल प्रतिबंधित किया जायेगा। देवे-5 क्लास AD

उपरोक्तानुसार कार्यवाही ~~एक सप्ताह की~~ समय–सीमा में पूर्ण की जाये।

(मनीष सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with CamS

संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.,भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development,M.P.,Bhopal
पालिका भवन ,शिवाजी नगर,भोपाल -४६२०१६
Pálika Bhawan, Shivaji Nagar,Bhopal -462016

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000003213/FNOC/CIT/2019/4221

आवेदन की तिथि / Application Date : May 24, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jul 1, 2019

आवेदक का नाम / Applicant Name : DELHI PUBLIC SHOOL PIPARIYAKALA JABALPUR

निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तो का पालन आवेदक को करना आवश्यक होगा :-

1. ग्रिकायत सोसायटी, भोपाल द्वारा सचिव, श्री एन.पी. प्रजापति, पता-2, नीलकंठ कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल को कार्यालय के जारी पत्र दिनांक 14.06.2016 द्वारा अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया था।

2. कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, जबलपुर के जारी पत्र दिनांक 11.10.2005 एवं कार्यालय, ग्राम पंचायत पिपरिया कलॉ, जबलपुर द्वारा प्रदाय अनुज्ञा में लिखित सभी शर्तो को मान्य करना अनिवार्य होगा ।

3. बहुमंजिला भवन के लिए आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर से जानकारी ली गई ।

4. भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के योग्यताधारी/अर्हताधारी अधिकारी श्री रामेश्वर नील, फायर ऑफिसर, नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा भवन के फायर कंसलटेन्ट एवं मालिक की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-04, फायर सेफ्टी के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये है जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में विस्तृत उल्लेख किया गया है ।

5. ग्रिकायत सोसायटी, भोपाल द्वारा सचिव, श्री एन.पी. प्रजापति, पता-2, नीलकंठ कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर "अग्नि प्राधिकारी" को एनओसी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. आवेदक को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यनक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा ।

7. अत: ग्रिकायत सोसायटी, भोपाल द्वारा सचिव, श्री एन.पी. प्रजापति, पता-2, नीलकंठ कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल द्वारा प्रस्तुंत वचन पत्र, निर्धारित प्रपत्र में जानकारी व निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फायर एनओसी जारी आदेश से 3 वर्ष की अवधि के लिये फायर एनओसी में समयवृद्धि प्रदाय किया जाना उचित होगा। अग्नि शमन कार्य हेतु स्थापित उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे है, इस आशय का वचन पत्र जारी एनओसी के दिनांक से एक माह पूर्व प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 03 वर्ष की अवधि समाप्त होने के 1 माह पूर्व नवीनीकरण हेतु पुन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

अत: गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तो एवं प्रावधानों के तहत फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र में "समयवृद्धि" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तद्नुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है ।

संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.,भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development,M.P.,Bhopal
.पालिका भवन ,शिवाजी नगर,भोपाल -४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar,Bhopal -462016

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number	:	6000003213/FNOC/CIT/2019/4221
आवेदन की तिथि / Application Date	:	May 24, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jul 1, 2019
आवेदक का नाम / Applicant Name	:	DELHI PUBLIC SHOOL PIPARIYAKALA JABALPUR
आवेदक का पता / Applicant Address	:	M/S DELHI PUBLIC SCHOOL, KH. NO. 98, 99/2, 100, 101, P.H.NO. 51, PIPARIYAKALA, TFRI COLONY, JABALPUR 482005
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC	:	RENEWAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy	:	
ईमारत का ऊंचाई / Building Height	:	10 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area	:	37200 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address	:	M/S DELHI PUBLIC SCHOOL, KH. NO. 98, 99/2, 100, 101, P. PIPARIYAKALA, TFRI COLONY, JABALPUR

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणि / Remarks:

प्रति,

ग्रिकायत सोसायटी, भोपाल द्वारा

सचिव, श्री एन.पी. प्रजापति,

पता-2, नीलकंठ कालोनी, ईदगाह हिल्स,

भोपाल (म.प्र.)

विषयः- रिक्वेस्ट नम्बर 6000003213 - ग्रिकायत सोसायटी, भोपाल द्वारा सचिव, श्री एन.पी. प्रजापति, पता-2, नीलकंठ कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल हाल मुकाम जबलपुर ने ख.नं. 98, 99/2, 100, 101, ग्राम पिपरिया कलॉ, तह. व जिला जबलपुर में निर्मित "दिल्ली पब्लिक स्कूल" 10 मी. ऊॅचे शैक्षणिक भवन को प्रदाय अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र में "समयवृद्धि" प्रदाय करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत ग्रिकायत सोसायटी, भोपाल द्वारा सचिव, श्री एन.पी. प्रजापति, पता-2, नीलकंठ कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल हाल मुकाम जबलपुर ने ख.नं. 98, 99/2, 100, 101, ग्राम पिपरिया कलॉ, तह. व जिला जबलपुर में निर्मित "दिल्ली पब्लिक स्कूल" 10 मी. ऊॅचे शैक्षणिक भवन को प्रदाय अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र में समयवृद्धि चाही गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया, प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है। समिति द्वारा प्रस्तावित